फा.सं.ई-11/1/2026-हिंदी

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(राजभाषा अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक: 25.08.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का होना अपेक्षित है। वर्तमान में विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन को काफी समय हो गया है तथा संबंधित अधिकारियों के प्रभार/कार्यभार में परिवर्तन को देखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसकी संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पदनाम	अभियुक्ति
1.	आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी	अध्यक्ष
2.	निदेशक (समन्वय)	सदस्य
3.	निदेशक (एनएचपी)	सदस्य
4.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एफएम)	सदस्य
5.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पेन रिवर)	सदस्य
6.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी)	सदस्य
7.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एसपीआर-I)	सदस्य
8.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एसपीआर-II)	सदस्य
9.	उप सचिव (प्रशासन)	सदस्य
10.	उप सचिव (सामान्य प्रशासन)	सदस्य
11.	उप सचिव (स्था.-I)	सदस्य

12.	उप सचिव (स्था.-II)	सदस्य
13.	उप सचिव (स्था. III)	सदस्य
14.	उप सचिव (स्था-IV)	सदस्य
15.	उप सचिव (जीडब्ल्यूई)	सदस्य
16.	उप सचिव (पीएसयू)	सदस्य
17.	उप सचिव (आईएफडी)	सदस्य
18.	उप सचिव (सिंधु)	सदस्य
19.	उप सचिव (ईए एवं आईसी)	सदस्य
20.	उप सचिव (ई-गवर्नेस)	सदस्य
21.	संयुक्त निदेशक (एमआई)	सदस्य
22.	संयुक्त निदेशक (पीयू)	सदस्य
23.	संयुक्त निदेशक एमआई (स्टेट)	सदस्य
24.	उपायुक्त (बी एवं बी)	सदस्य
25.	अवर सचिव (बीएम)	सदस्य
26.	उप निदेशक (सीएडीडब्ल्यूएम)	सदस्य
27.	निदेशक (रा.भा.)	सदस्य सचिव

(संगीता टी.)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. उप सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन डी सी सी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे इन्ट्रानेट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

1. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव (जे. एस. आर. डी.) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के निजी सचिव।
4. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।